न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः–रकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
राजस्व वाद : बाबत इस्तकरार हक,
नम्बर मुकदमा – 14/2024

निर्णय दिनांकः– 07.05.2024

अर्शदीप सिह पुत्र गुरदास सिह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादी

बनाम

गुरदास सिह पुत्र जगराज सिह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
जंगीर कौर पत्नी जगराज सिह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
परविन्द्र कौर पुत्री जगराज सिह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादी
श्री चरणजीत सिह सिद्धू – अधिवक्ता प्रति स. 1 ता 3

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादी की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादी व प्रति स. 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 में दर्ज है।चक 1 ए. एम.पी. (बी) खाता स. 31/8 खाता गुरदास सिह वगैरा ज.स. 2070–73 में वादी के दादा व प्रति स. 1 व 3 के पिता तथा प्रति स. 2 के पति जगराज सिह पुत्र मोहन सिह के नाम आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजीवादी के दादा व प्रति स. 1 व 3 के पिता तथा प्रति स. 2 के पति जगराज सिह पुत्र मोहन सिह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।प्रति स. 1 व 3 ने अपने पिता से प्राप्त तथा प्रति स. 2 ने अपने पति से प्राप्त अपने समस्त विरास्तन हक व हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। अतः चक 1 ए. एम.पी. (बी) खाता स. 31/8 खाता गुरदास सिह वगैरा ज.स. 2070–73 में वादी के दादा व प्रति स. 1 व 3 के पिता तथा प्रति स. 2 के पति जगराज सिह पुत्र मोहन सिह के नाम दर्ज आराजी का वादी खातेदार का... है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादी प्राप्त करने का अधि... एवं दावेदार है।दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादी के नाम दावा दफा 4 के मुताबिक दर्ज नही होने के कारण वादी के ... बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई ... कि आप दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादी को दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम से अंकन करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku... Meena
Date: 2024.05.21 15:03:26 IS...
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

हो गए बस यही वादकारण हैं।चक 1 ए. एम.पी. (बी) खाता स. 31/8 खाता गुरदास सिह वगैरा ज.स. 2070–73 में वादी के दादा व प्रति स. 1 व 3 के पिता तथा प्रति स. 2 के पति जगराज सिह पुत्र मोहन सिह के नाम दर्ज आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 ता 3 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया ।प्रति स. 1 ता 3 की ओर से सहमति का जवाब दावा पेश किया गया। जो शामिल मिसल है। प्रति स. 4 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। साक्ष्य वादी में वादी अर्शदीप सिह का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी.पेश किया गया। जो शामिल मिसल है।

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादी अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि चक 1 ए. एम.पी. (बी) खाता स. 31/8 खाता गुरदास सिह वगैरा ज.स. 2070–73 में वादी के दादा व प्रति स. 1 व 3 के पिता तथा प्रति स. 2 के पति जगराज सिह पुत्र मोहन सिह के नाम दर्ज आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 ता 3 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे ।अधिवक्ता प्रति स. 1 ता 3 ने वादीगण के वादी का कोई विरोध नही किया। वादी के वाद का कोई विरोध नही है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति चक 1 ए. एम.पी. (बी) खाता स. 31/8 खाता गुरदास सिह वगैरा ज.स. 2070–73 पेश है। जो कि प्रदर्श 1 है।वादी के वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि चक 1 ए. एम.पी. (बी) खाता स. 31/8 खाता गुरदास सिह वगैरा ज.स. 2070–73 में जगराज सिह पुत्र मोहन सिह के नाम दर्ज आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 ता 3 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर उक्त खाता से जगराज सिह का नाम कलमजन किया जावे।
निज..........X.............. मुब्लिक..........X.......... बाबत..........X..........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।
बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 07.05.2024 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो [illegible] डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.21 15:03:26 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीणा)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री एंव मुकदमे ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

अर्शदीप सिह पुत्र गुरदास सिह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादी

बनाम

1. गुरदास सिह पुत्र जगराज सिह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. जंगीर कौर पत्नी जगराज सिह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. परविन्द्र कौर पुत्री जगराज सिह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्दू – अधिवक्ता वादी
श्री चरणजीत सिह सिद्दू – अधिवक्ता प्रति स. 1 ता 3

मु.स. 14/2024 दावा अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्दू एड. वादी व श्री चरणजीत सिह सिद्दू एड. प्रति स. 1 ता 3 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि चक 1 ए. एम.पी. (बी) खाता स. 31/8 खाता गुरदास सिह वगैरा ज.स. 2070–73 में जगराज सिह पुत्र मोहन सिह के नाम दर्ज आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 ता 3 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर उक्त खाता से जगराज सिह का नाम कलमजन किया जावे।

निज.......X.......... मुब्लिक.......X.......... बाबत.....X.............खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 07.05.2024 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.05.21 15:03:26
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official